न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी सुभाष यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3/22/2023

वउनवान

1. मनोहर लाल पुत्र स्व0 छुट्टन राम जाति माली उम्र करीब 62 साल निवासी भैसड़ावत तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः–

श्री अमृतलाल सैनी – अधिवक्ता प्रार्थी

पैरोकार सरकार – अप्रार्थी

आदेश **दिनांक 03.01.2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खाता सं. 107, 55, 53, 363, 372, 106, 105, वाके ग्राम भैंसड़ावत तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता छुट्टन राम का नाम को अधूरा नाम छुट्टन दर्ज कर रखा है। सह हिस्सेदारान से हमारा कोई विवाद नही है इसलिए उन्हे अनावश्यक पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी के पिता का पूरा नाम छुट्टन राम पुत्र टुण्डाराम है लेकिन उक्त आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में कर्मचारीयों ने सहवन/गलती से अधूरा नाम छुट्टन पुत्र टुण्डा ही दर्ज कर दिया है जबकि पूरा सही नाम छुट्टन राम पुत्र टुण्डा राम है। इसी नाम से प्रार्थी के पिता को जाना चाहता है। यह है कि प्रार्थी का पिता छुट्टन राम फौत हो गया है जिसका विरासत इंतकाल प्रार्थी , उसकी बहन, मां वारिसान के नाम दर्ज होना है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर आराजी खाता सं. 107, 55, 53, 363, 372, 106, 105, वाके ग्राम भैंसड़ावत तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर में प्रार्थी के पिता का नाम छुट्टन पुत्र टुण्डा के स्थान पर पूरा नाम छुट्टन राम पुत्र टुण्डाराम दर्ज कर हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने जवाब में प्रमुखत कथन किया है कि वाके ग्राम भैंसड़ावत के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाता सं. 107, 55, 53, 363, 372, 106, 105 में प्रार्थी के पिता का नाम छुट्टन पुत्र टुण्डा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। कुछ खातों में छुट्टन राम पुत्र टुण्डाराम है। छुट्टन पुत्र टुण्डा व छुट्टन राम पुत्र टुण्डाराम एक ही व्यक्ति है।

<u>136 **Correction of errors:-**</u> the land records officers may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to right or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any during records of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम छुट्टन पुत्र टुण्डा के स्थान पर छुट्टन राम पुत्र टुण्डाराम शुद्ध करने के आदेश जारी करना यह न्यायालय उचित मानता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 अंतर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया जाता है कि तहसीलदार गोविन्दगढ वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम छुट्टन पुत्र टुण्डा के स्थान पर छुट्टन राम पुत्र टुण्डाराम दर्ज कर दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करे।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

अतः यह आदेश आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)